



मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन पोजना

- दिनांक 31.08.2020 को संशोधित अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित।
- दिनांक 27.08.2021 को संशोधित अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित।

विषय सूची

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना

1. प्रस्तावना	1
2. योजना का नाम एवं प्रवर्तन अवधि	1
3. योजना का स्वरूप	1
4. पात्रता की शर्तें	2
5. ऋणदात्री संस्थाएं	2
6. योजना क्रियान्वयन एजेन्सी	2
7. ऋण सीमा, ब्याज अनुदान की दर, सम्पार्शिक प्रतिभूति (Collateral Security) तथा वित्तीय संस्थानों की ऋण योजनाओं के लाभान्वितों को समाहित करने संबंधी प्रावधान	3
8. ऋण अवधि एवं अदायगी अवधि में छूट	5
9. आवेदन प्रक्रिया एवं योजना का क्रियान्वयन	6
10. निर्बन्धन एवं शर्तें	7
11. योजना के अन्तर्गत अपात्र गतिविधियों की सूची	8
12. अन्य विविध बिन्दु	8

योजना क्रियान्वयन की मार्गदर्शिका

1. आवेदन पत्रों की छानबीन हेतु टास्क फोर्स समिति	9
2. विशेष वर्गों/उद्यमों को वरीयता	10
3. संस्थागत आवेदकों हेतु पात्रता शर्तें	11
4. योजनान्तर्गत आवेदन हेतु अपात्र आवेदक	12
5. योजना अन्तर्गत आवेदन प्रक्रिया	13
6. आवेदक के आवेदन के मूल्यांकन का प्रपत्र	16
7. मूल्यांकन के उपरान्त प्रभारी अधिकारी/टास्क फोर्स की अभिशंषा	18
8. ऋण के संबंध में सामान्य स्पष्टीकरण	18

योजना क्रियान्वयन हेतु प्रपत्र

1. प्रपत्र 2 (अ) वित्तीय संस्थान स्तर से सीधे वितरित प्रकरण हेतु प्रपत्र	19
2. प्रपत्र 2 (ब) वित्तीय संस्थान स्तर से सीधे स्वीकृत/वितरित प्रकरण हेतु प्रपत्र	20
3. प्रपत्र 3 (अ)-तिमाही के दौरान स्वीकृत खातों में (प्रथम बार) ब्याज अनुदान दावा प्रस्तुति हेतु प्रपत्र	21
4. प्रपत्र 3 (ब)- पूर्व में स्वीकृत खाते में चालू तिमाही हेतु ब्याज अनुदान प्रपत्र	22

राजस्थान सरकार
उद्योग (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प. 1(50)उद्योग / ग्रुप-2 / 2019

जयपुर दिनांक: 13.12.2019

अधिसूचना (दिनांक 31.08.2020 एवं 27.08.2021 के संशोधन सहित)

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना

1. प्रस्तावना

प्रदेश में उद्यमों की सरल स्थापना एवं राज्य के सभी वर्गों के व्यक्तियों को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने हेतु **वित्तीय संस्थान** के माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से यह योजना प्रारम्भ की जा रही है। योजना का प्रमुख उद्देश्य स्वयं के उद्यम (विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार) की स्थापना अथवा स्थापित उद्यम के विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण हेतु कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार के नवीन अवसरों का सृजन करना है। इससे न केवल उद्यम व रोजगार हेतु सुगम ऋण की उपलब्धता संभव हो सकेगी, अपितु इसके उपरांत उन्हें उद्यम के अन्य चरणों हेतु केन्द्रीय/राज्य सरकार की अन्य प्रकृति की योजनाओं का बेहतर लाभ भी प्राप्त हो सकेगा।

2. योजना का नाम एवं प्रवर्तन अवधि

योजना का नाम “मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना” होगा, इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान राज्य होगा। योजना दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 से 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी रहेगी।

3. योजना का स्वरूप

योजना अन्तर्गत **वित्तीय संस्थानों** के माध्यम से विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्यम हेतु ऋण उपलब्ध करवाया जावेगा। नये स्थापित होने वाले उद्यम के साथ-साथ पूर्व स्थापित उद्यम भी विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण इत्यादि हेतु लाभान्वित हो सकेंगे। योजना अन्तर्गत व्यक्तिगत आवेदक के साथ-साथ संरथागत आवेदक (स्वयं सहायता समूह/सोसायटी/भागीदारी फर्म/एल.एल.पी.फर्म/कम्पनी) भी पात्र होंगे। योजनान्तर्गत उद्यम का स्थापना क्षेत्र राजस्थान राज्य होगा।

4. पात्रता की शर्तें

- क. व्यक्तिगत आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होना आवश्यक होगी ।
- ख. स्वयं सहायता समूह या इन समूहों के समूह का राज्य सरकार के किसी विभाग के अन्तर्गत दर्ज होना तथा भागीदारी फर्म, एल.एल.पी.फर्म एवं कम्पनी की स्थिति में उनका नियमानुसार पंजीकृत होना आवश्यक होगा ।
- ग. योजना के तहत ऋण एवं ब्याज अनुदान हेतु आवेदन तिथि के समय भारत सरकार द्वारा निर्धारित परिभाषा अन्तर्गत शामिल सूक्ष्म एवं लघु उद्यम पात्र होंगे । व्यापार हेतु अधिकतम 1 करोड़ रु का ऋण पात्र होगा तथा ब्याज अनुदान की राशि का दो तिहाई हिस्सा सूक्ष्म उद्योगों को दिये जाने की प्राथमिकता दी जाएगी ।

उक्त शर्तों के भीतर विभिन्न संस्थागत आवेदकों के लिये पात्रता, वरीयता आदि से संबंधित अन्य शर्तें उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित की जाने वाली योजना के क्रियान्वयन की मार्गदर्शिका के अनुसार होंगी ।

5. ऋणदात्री संस्थाएं

योजना अन्तर्गत निम्नांकित **वित्तीय संस्थाएं** ऋण उपलब्ध करा सकेंगी :—

- (i) राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक ।
- (ii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल फाइनेंस बैंक ।
- (iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ।
- (iv) राजस्थान वित्त निगम ।
- (v) सिडबी ।
- (vi) अरबन को—ऑपरेटिव बैंक ।

6. योजना क्रियान्वयन एजेन्सी

इस योजना का क्रियान्वयन उद्योग विभाग के अधीन जिलों में कार्यरत जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से किया जाएगा । कार्यालय आयुक्त उद्योग राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु नोडल एजेन्सी होगा ।

7. ऋण सीमा, ब्याज अनुदान की दर, सम्पार्शिक प्रतिभूति (Collateral Security) तथा वित्तीय संस्थानों की ऋण योजनाओं के लाभान्वितों को समाहित करने संबंधी प्रावधान

(i) अनुच्छेद – 7(i)(अ) ऋण सीमा :– इस योजनान्तर्गत वित्तीय संस्थानों द्वारा विनिर्माण एवं सेवा आधारित नए उद्यम की स्थापना हेतु भूमि, संयंत्र एवं मशीन, वर्क शेड/भवन, फर्नीचर, उपकरण, कच्चे माल इत्यादि के लिए अधिकतम 10 करोड़ रुपये (व्यापार हेतु अधिकतम 1 करोड़ रुपये) तथा विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण के उद्देश्य से भूमि, संयंत्र एवं मशीन, वर्कशेड/भवन, फर्नीचर, उपकरण, कच्चे माल इत्यादि के लिए अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक का ऋण वित्तीय संस्थानों के माध्यम से उपलब्ध करवाया जायेगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भूमि प्रोजेक्ट का भाग होने पर भूमि हेतु, कुल ऋण राशि का अधिकतम 25 प्रतिशत ऋण ब्याज अनुदान हेतु पात्र होगा।

अनुच्छेद – 7(i)(ब) ऋण का स्वरूप :– ऋण का स्वरूप प्रोजेक्ट की आवश्यकतानुसार विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में कम्पोजिट ऋण अथवा केवल सावधि ऋण तथा व्यापार क्षेत्र में कम्पोजिट ऋण अथवा सावधि ऋण अथवा कार्यशील पूंजी (अधिकतम 25 लाख रुपये तक के ऋण), (सी.सी. लिमिट सहित) होगा।

अनुच्छेद – 7(i)(स) कम्पोजिट ऋण में कार्यशील पूंजी की अधिकतम सीमा :– विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में कम्पोजिट ऋण का अधिकतम 40 प्रतिशत कार्यशील पूंजी (सी. सी. लिमिट सहित) तथा व्यापार क्षेत्र में कम्पोजिट ऋण का अधिकतम 75 प्रतिशत कार्यशील पूंजी (सी. सी. लिमिट सहित) की मात्रा वाले प्रोजेक्ट ही योजनान्तर्गत पात्र होंगे।

अनुच्छेद – 7(i)(द) :– विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण के मामलों में विस्तारित प्रोजेक्ट हेतु लिए गए अतिरिक्त सावधि ऋण एवं कार्यशील पूंजी पर ही ब्याज अनुदान देय होगा।

अनुच्छेद – 7(i)(य) :– योजना के तहत आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर प्रथम बार स्वीकृत ऋण राशि में किसी प्रकार की वृद्धि ब्याज अनुदान हेतु पात्र नहीं मानी जायेगी।

अनुच्छेद – 7(i)(र) विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण की परिभाषा :-
पूर्व संचालित उद्यम द्वारा विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय संस्थान से प्रोजेक्ट रिपोर्ट में वर्णित निवेश के मदों हेतु अतिरिक्त ऋण प्राप्त कर उद्यम हेतु विनियोजित किया जाना ही विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण माना जाएगा।

अनुच्छेद – 7(i)(ल) परियोजना लागत :- ऋण राशि एवं उद्यमी के स्वयं के अंशदान को मिलाकर परियोजना लागत की अधिकतम सीमा एमएसएमई की परिभाषा अनुसार लघु उद्यम हेतु उल्लेखित निवेश की अधिकतम सीमा तक होगी।

(ii) **ऋण श्रेणियाँ एवं ब्याज अनुदान :-** योजना के अन्तर्गत ऋण राशि के आधार पर निम्नानुसार 3 श्रेणियों में प्रदत्त ऋण का समय पर चुकारा करने पर निम्नानुसार ब्याज अनुदान देय होगा :–

क्र.सं.	अधिकतम ऋण राशि	ब्याज अनुदान
1	25 लाख रु. तक	8%
2	25 लाख रु. से अधिक एवं 05 करोड़ रु. तक	6%
3	05 करोड़ रु. से अधिक एवं 10 करोड़ रु. तक	5%

(iii) **ऋण संबंधी अन्य प्रावधान :-**

क. व्यापार हेतु ऋण की अधिकतम सीमा 1 करोड़ रुपये रहेगी। व्यापार से तात्पर्य वाणिज्यिक उत्पादों का थोक अथवा खुदरा क्रय—विक्रय है।

ख. बुनकर कार्ड धारक बुनकरों के एक लाख रुपये तक के ऋण तथा हस्तशिल्पी/दस्तकार/शिल्पी कार्ड धारकों के 3 लाख रु. तक के ऋण, जिसे कम्पोजिट ऋण अथवा सावधि ऋण अथवा कार्यशील पूंजी ऋण (सी. सी. लिमिट) के रूप में लिए जाने पर ब्याज का शत—प्रतिशत पुनर्भरण अनुदान के रूप में किया जाएगा।

ग. यदि **वित्तीय संस्थान** ऋण पर देय ब्याज दर उक्त दर के बराबर या उससे कम है, तो शत—प्रतिशत ब्याज अनुदान देय होगा।

- (iv) सम्पार्शिक प्रतिभूति (**Collateral Security**) मुक्त ऋण को प्रोत्साहन—भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा—निर्देशानुसार 10 लाख रु. तक के ऋण पर सम्पार्शिक प्रतिभूति की मांग नहीं की जायेगी तथा सभी प्रकार के ऋण प्रकरणों को आवश्यकतानुसार वित्तीय संस्थान द्वारा **Credit Guarantee Trust Fund For Micro and Small Enterprises (CGTMSE)** योजना से जोड़ा जा सकेगा। इसमें फीस की राशि का वहन लाभार्थी द्वारा किया जायेगा तथा मुद्रा योजना में होने पर यथास्थिति उस योजना में वहन किया जायेगा।
- (v) वित्तीय संस्थान द्वारा उनकी अपनी योजनाओं में 10 लाख रु. तक का ऋण वितरित पात्र उपक्रम योजना अन्तर्गत लाभ हेतु पात्र होगा। ऐसे प्रकरणों में वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण वितरण की प्रथम तिथि से अधिकतम 90 दिवस की अवधि में जिला उद्योग केन्द्र को अनुमोदन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। इस अवधि पश्चात प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। वित्तीय संस्थानों से प्राप्त उक्त ऋण आवेदनों को योजना के नोडल अधिकारी द्वारा पात्रता स्वीकारने हेतु वांछित समस्त दस्तावेज प्राप्त कर महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र की अनुमति से इस बाबत संधारित रजिस्टर में प्रविष्टि पश्चात संबंधित वित्तीय संस्थान व ऋणी को पात्रता सूचना दी जाएगी तथा प्रगति योजना के पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

8. ऋण अवधि एवं अदायगी अवधि में छूट

योजना में **वित्तीय संस्थानों** द्वारा प्रदत्त ऋण पर ब्याज अनुदान की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी। **वित्तीय संस्थान** ऋण की कुल अवधि 5 वर्ष से अधिक हो सकती है, ऐसी स्थिति में ब्याज अनुदान मात्र 5 वर्ष तक ही देय होगा। **वित्तीय संस्थानों** द्वारा ऋणी को अधिकतम 6 माह की अवधि तक ऋण अदायगी में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी, जो उद्यम की प्रकृति / लाभप्रदता एवं ऋणी की पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर **वित्तीय संस्थानों** द्वारा निश्चित की जाएगी। ऋण अदायगी की शिथिलता अवधि में भी ब्याज राशि के नियमित भुगतान पर योजना अन्तर्गत ब्याज अनुदान देय होगा।

9. आवेदन प्रक्रिया एवं योजना का क्रियान्वयन

- (i) योजना में आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगा, जिसकी प्रक्रिया योजना क्रियान्वयन हेतु निर्धारित मार्गदर्शिका के अनुसार होगी। योजना में आवेदन की सरलता तथा उनकी कार्ययोजना की बेहतर परिणाम देयता के लिए प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र में प्रत्येक माह के निर्धारित दिवस को आमुखीकरण एवं मार्गदर्शन हेतु शिविर लगाया जाएगा। इसमें उन्हें न केवल योजना संबंधी जानकारी दी जाएगी अपितु बिना किसी मध्यस्थ के स्वयं आवेदन भरने एवं अनुकूल प्रोजेक्ट तैयार करने की कार्यशाला भी रखी जाएगी, इसमें आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों का भी सहयोग लिया जा सकेगा।
- (ii) योजना में ब्याज अनुदान भुगतान प्रक्रिया को सरलीकृत एवं पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत किये जाने हेतु भुगतान की ऑनलाईन व्यवस्था अपनाई जायेगी। इस ऑनलाईन व्यवस्था हेतु आवश्यकतानुसार किसी बैंक अथवा **वित्तीय संस्थान** (नोडल संस्थान) से अनुबंध कर पोर्टल बनाने, ऑनलाईन क्लेम प्राप्त करने, ऑनलाईन भुगतान करने तथा तत्संबंधी लेखे संधारित करने, प्रगति विवरण तैयार करने एवं उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतु करार किया जाएगा।
- (iii) ऑनलाईन व्यवस्था हेतु नोडल **वित्तीय संस्थान** को अनुदान पेटे अग्रिम राशि (कोरपस फण्ड) भुगतान का प्रावधान रखा जा सकेगा एवं इस व्यवस्था के संचालन हेतु व्यय का भुगतान भी किया जा सकेगा।
- (iv) ऋणों का उनके क्षेत्र, वर्ग एवं उद्देश्य अनुसार समुचित उपयोग एवं मोनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वैल्यूएशन या वेरीफिकेशन कराया जा सकता है, जिसमें प्रक्रिया ऑनलाईन रखी जा सकेगी। इसमें विभाग द्वारा जांच एवं सत्यापन की कार्यवाही की समुचित प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। ऋण वितरण के उपरान्त प्रत्येक उद्यमी को पोर्टल से एसएमएस जारी कर उनके फॉलो-अप की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें उद्यमी अपनी समस्या, मांग, सुझाव या प्रगति की स्थिति को लेकर जिला उद्योग केन्द्र में निर्धारित दिवस को उपस्थित हो सकता है या विभाग द्वारा प्रदत्त ऑनलाईन सुविधा या एप का उपयोग करते हुए अपना फीडबैक दे

सकता है। महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र ऋण वितरण के उपरान्त भी इनका आमुखीकरण एवं इनके बेहतर अपग्रेडेशन हेतु प्रत्येक तीन माह पर शिविर आयोजित करते रहेंगे जिसके लिए प्रत्येक आवेदक को एसएमएस से सूचना प्रदान की जाएगी।

- (v) प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र में ऋण पूर्व ओरियेंटेशन, मेन्टरिंग एवं इन्क्यूबेशन तथा ऋण पश्चात् मॉनिटरिंग व फॉलो—अप की सुविधा विकसित जायेगी, जिसके लिए प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र हेतु एकमुश्त व्यय उपलब्ध कराया जायेगा। योजना के प्रचार प्रसार, सुदृढ़ीकरण, प्रशिक्षण एवं विविध लिंकेज हेतु किसी विशेषज्ञ अथवा निजी एजेन्सी की सेवाएं ली जा सकेगी। इन समस्त कार्यों हेतु कुल आवंटित बजट का 5 प्रतिशत रखा जा सकेगा या इस संबंध में पृथक से वित्तीय प्रावधान किया जा सकेगा, जिसका उपयोग ऑनलाईन पोर्टल एवं एप निर्माण, मेन्टरिंग एवं इन्क्यूबेशन सुविधा, प्रशिक्षण एवं विविध लिंकेज, कार्यालय व्यय, प्रचार—प्रसार, प्रोत्साहन शिविर व **वित्तीय संस्थान** सम्मेलन हेतु किया जाएगा।

10. निर्बन्धन एवं शर्तें

- (i) योजना अन्तर्गत ऋण राशि का उपयोग उसी कार्य हेतु किया जा सकेगा, जिसके लिए ऋण स्वीकृत किया गया है।
- (ii) ब्याज अनुदान सहायता, उद्यम द्वारा ऋण के समय पर पुनर्भुगतान करने पर देय होगी। ऋणदात्री **वित्तीय संस्थान** द्वारा प्रेषित मांग पत्र में ऋणी के ऋण अदायगी में दोषी नहीं होने व परियोजना के कार्यरतता का उल्लेख करना होगा। ऑनलाईन अनुदान भुगतान संबंधित जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक के प्रमाणन / मान्यकरण पश्चात् किया जा सकेगा।
- (iii) ऋण खाता NPA (गैर निष्पादन आस्तियाँ) श्रेणी में आने के बाद उद्यमी द्वारा कालान्तर में नियमित कर दिये जाने पर उक्त अवधि का ब्याज अनुदान भी देय रहेगा, जो ऋण स्वीकृति आदेश की शर्तों के अध्यधीन होगा।
- (iv) अपात्र इकाई द्वारा योजना में ब्याज अनुदान लिए जाने पर जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति द्वारा प्रकरण को निरस्त किया जाएगा जिसके आधार

पर चुकाया गया व्याज अनुदान मय 18 प्रतिशत दण्डनीय व्याज वसूलनीय होगा ।

11. योजना के अन्तर्गत अपात्र गतिविधियों की सूची

योजना के अन्तर्गत निम्न गतिविधियाँ अपात्र होगी :—

- (i) मांस, मदिरा व मादक पदार्थों से बने उत्पादों का निर्माण व विक्रय ।
- (ii) विस्फोटक पदार्थ ।
- (iii) परिवहन वाहन, जिसकी ऑन-रोड कीमत 10 लाख रु. से अधिक हो
- (iv) पुनः चक्रित न किये जा सकने वाले पॉलिथीन व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक उत्पाद ।
- (v) भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिबन्धित उत्पाद/गतिविधियाँ ।
- (vi) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ (पशुपालन, पक्षीपालन, मत्स्यपालन सहित)
- (vii) खनन, रियल एस्टेट संबंधी गतिविधियाँ ।
- (viii) शैक्षणिक संस्थान एवं कोचिंग संबंधी गतिविधियाँ ।
- (ix) अलाभकारी संस्थाओं यथा एनजीओ, ट्रस्ट द्वारा संचालित गतिविधियाँ ।

12. अन्य विविध बिन्दु

सामान्य तौर पर किसी क्षेत्र में ऋण एवं अनुदान हेतु अन्य विभागों के माध्यम से भी ऋण प्रदान करने एवं रोजगार सृजन की योजनाएं संचालित की जाती हैं, जिसमें राज्य सरकार के अतिरिक्त भारत सरकार के भी विभिन्न विभाग एवं संगठन/परिषद सम्मिलित हैं। उद्योग विभाग आवश्यकतानुसार उनसे समन्वय कर योजना को और सुदृढ़ करने हेतु कार्यवाही कर सकता है। योजना के सुचारू संचालन के संबंध में प्रक्रिया, दिशा-निर्देश व प्रपत्रों के प्रारूप निर्धारण हेतु आयुक्त, उद्योग, राजस्थान सक्षम होंगे। इस योजना में किसी बिन्दु पर व्याख्या, योजना क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के अधिकार आयुक्त, उद्योग, राजस्थान में निहित होंगे।

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना

-: योजना क्रियान्वयन की मार्गदर्शिका :-

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के प्रशासनिक क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार दिशानिर्देश निर्धारित किये जाते हैं :—

1. आवेदन पत्रों की छानबीन हेतु टारक फोर्स समिति

योजना अन्तर्गत 10 लाख रु तक के ऋण आवेदन पत्र महाप्रबंधक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या अधिकारियों द्वारा स्क्रूटिनी कर स्वयं के स्तर पर अभिशंषित किए जा सकेंगे। इसमें जिस आवेदक का आवेदन निरस्त किया जायेगा वह उसके पुनरीक्षण को महाप्रबंधक को आवेदन कर सकेगा, जिसमें उनके द्वारा ही आवेदन पर यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

योजना अन्तर्गत 10 लाख रु से अधिक ऋण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की छानबीन हेतु एक टारक फोर्स समिति का गठन किया जाता है, जिसमें निम्नानुसार सदस्य सम्मिलित हैं :—

- | | |
|--|--------------|
| (i) महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र | अध्यक्ष |
| (ii) जिले के अग्रणी बैंक के अग्रणी जिला प्रबन्धक या अग्रणी बैंक का प्रतिनिधि | सदस्य |
| (iii) जिले के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिनिधि | सदस्य |
| (iv) स्थानीय राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय / पॉलीटेक्निक / आई.टी.आई. या सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विकास संस्थान के प्रतिनिधि | तकनीकी सदस्य |
| (v) जिला रोजगार अधिकारी अथवा प्रतिनिधि | सदस्य |
| (vi) महिला अधिकारिता विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा प्रतिनिधि | सदस्य |
| (vii) जिला स्तरीय अधिकारी, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) अथवा प्रतिनिधि | सदस्य |
| (viii) महाप्रबन्धक, जि.उ.के. द्वारा मनोनीत विभागीय प्रतिनिधि | सदस्य सचिव |
- (नोट :— उक्त समिति में बैंक के एक प्रतिनिधि सहित न्यूनतम 4 सदस्यों का कोरम होना आवश्यक है।)

टास्क फोर्स समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार अनिवार्य रूप से आयोजित की जायेगी।

उक्त टास्क फोर्स समिति 10 लाख रु. से अधिक ऋण के आवेदकों के साक्षात्कार के माध्यम से आवेदकों की प्रस्तावित उद्यम के संबंध में शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता, पैतृक / अनुभव से प्राप्त ज्ञान, उद्यम में आवेदक की रुचि, आवेदक की उद्यमिता योग्यता, उद्यम की सफलता की संभावना, बाजार संभावना, ऋण अदायगी के प्रति आवेदक की ईमानदारी आदि का आकलन आदि के आधार पर योग्य / पात्र लाभार्थियों का चयन करेगी। टास्क फोर्स समिति द्वारा चयन होने पर आवेदक का आवेदन पत्र ऋणदात्री **वित्तीय संस्थान** शाखा को अग्रेषित किया जायेगा।

2. विशेष वर्गों/उद्यमों को वरीयता

योजना के अन्तर्गत आवेदकों के चयन में निम्नलिखित वर्गों को विशेष वरीयता दी जाएगी :—

1. ऐसे संस्थागत आवेदक, जो दीर्घकाल से सफल स्वयं सहायता समूह के रूप में कार्यरत हैं अथवा वे उत्पादन के एक स्तर या कौशल को प्राप्त कर चुके हैं अथवा समूहों के समूह के रूप में व्यवसायिक / आर्थिक गतिविधि चलाना या विस्तार करना चाहते हैं।
2. ऐसे आवेदक, जो राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी कौशल में प्रशिक्षित हैं या प्रस्तावित कार्यक्षेत्र में पुरस्कृत हैं।
3. ऐसे आवेदक, जो पूर्व में **वित्तीय संस्थान** के अच्छे ऋणी हों, जिन्होंने **वित्तीय संस्थान** के नियमों के तहत समयबद्ध रूप में ऋण चुकाया हो।
4. ऐसे आवेदक, जो दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं।
5. ऐसे आवेदक, जो वस्तुतः समाज के सबसे वंचित तबके के रूप में विद्यमान हों, जैसे स्ट्रीट वेण्डर, माइनिंग एवं कंस्ट्रक्शन वर्कर, घरेलू वर्कर व असंगठित क्षेत्र के अन्य श्रमिक। (इन्हें चिन्हित करने के लिए अलग से नीति या दिशा-निर्देश बनाये जा सकते हैं)
6. ऐसे आवेदक, जिनकी कार्य योजना से समाज के वंचित तबके को विशेष संबल या रोजगार प्राप्त होता हो।

7. ऐसे अनेक श्रमिक हैं, जो किसी उद्यम में लम्बे समय तक कार्य करते रहने के कारण वे उस उद्यम के संचालन में निपुण हो चुके हैं, ऐसे श्रमिकों या उनके समूहों को भी विशेष वरीयता प्रदान की जा सकती है। इसी प्रकार किसी उद्यम में परम्परागत रूप से दस्तकार अथवा उससे जुड़े रहे व्यक्तियों को भी वरीयता दी जा सकती है।
8. ऐसे आवेदक, जो वस्त्र बुनाई के कार्य हेतु बुनकर कार्डधारक या हस्तशिल्प में आर्टीजन कार्ड धारक है।
9. ऐसे आवेदक, जो विश्व के अन्य देशों से न्यूनतम 1 वर्ष तक कार्य करके लौटकर आये कामगार एवं उद्यमी हैं।
10. ऐसे आवेदक, जो एक दूसरे की संयुक्त देयता (ज्वाइंट लायबिलिटी) या गारंटी लेते हैं।
11. ऐसे आवेदक, जो किसी ऐसे नवाचार या अनुसंधान को क्रियान्वित करना चाहते हैं, जो भविष्य की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी हो।
12. ऐसे आवेदक, जिनकी कार्य योजना में अधिक रोजगार सृजन होता हो अथवा पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी अथवा गैर परम्परागत उर्जा संसाधनों का प्रयोग होता हो।
13. ऐसे आवेदक, जिनकी कार्य योजना में निर्यात संवर्द्धन की विपुल संभावना हो।
14. ऐसे आवेदक, जिनकी प्रस्तावित परियोजना से रोजगार व कौशल दोनों बढ़ता हो जैसे – रेडिमेड वस्त्र निर्माण, डिजाइन इत्यादि।
15. ऐसे आवेदक, जो सिलिकोसिस कारक/प्रभावित उद्यमों के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अनुकूल आधुनिकीकरण हेतु निवेश करना चाहते हैं।
16. स्वतन्त्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों को स्वयं का उपक्रम प्रारम्भ किए जाने हेतु वरीयता दी जायेगी।

नोट :- योजना के समुचित क्रियान्वयन हेतु आयुक्त उद्योग इनके लिए एक निश्चित टाईम मैट्रिक्स निर्धारित करने में सक्षम होंगे।

3. संस्थागत आवेदकों हेतु पात्रता शर्तें

संस्थागत आवेदकों (निर्धारित स्वयं सहायता समूह एवं सोसायटी) हेतु निम्नानुसार अतिरिक्त पात्रता शर्तें होंगी :–

- (a) संस्था / समूह राज्य सरकार के किसी विभाग के दिशा निर्देश / नियम / विनियम / योजना के अन्तर्गत गठित होना चाहिए।
- (b) संस्था / समूह के सभी सदस्य राजस्थान राज्य के निवासी होने चाहिए।
- (c) संस्था / समूह को राज्य सरकार के किसी विभाग या **वित्तीय संस्थान** द्वारा तत्समय डिफाल्टर घोषित नहीं किया गया हो।
- (d) संस्था / समूह के गठन को कम से कम एक वर्ष हो गया हो तथा गठन के एक वर्ष की अवधि के उपरांत भी न्यूनतम एक वर्ष तक सक्रिय रूप से संचालित होना चाहिए। इस अवधि में बचत, पारस्परिक लेन-देन, ऋण इत्यादि का पर्याप्त रिकार्ड संधारित होना चाहिए।
- (e) संस्था / समूह से संबंधित समस्त सूचनाएं राज्य सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध होनी चाहिए।
- (f) सहकारी सोसायटी जो सहकारी विभाग से पंजीकृत हो एवं जिनके लेखों का नियमित अंकेक्षण हो रहा हो एवं उत्पादन गतिविधि में संलग्न हो, पात्र मानी जाएगी।

चूंकि स्वयं सहायता समूह के संबंध में अनेक विभागों के द्वारा अलग-अलग स्तर पर उनके गठन की कार्यवाही की जाती रही है और उनकी समस्याओं एवं स्थितियों का तदनुरूप परिवर्तन होता रहता है, अतः संबंधित विभाग की अभिशंषा पर आयुक्त उद्योग ऐसे संस्था / समूह आवेदकों हेतु ऐसी पात्रता शर्तों में संशोधन करने हेतु सक्षम होंगे, जिनसे उनकी उद्यमिता और प्रबंधन क्षमता बेहतर होती हो।

4. योजनान्तर्गत आवेदन हेतु अपात्र आवेदक

निम्नलिखित आवेदक योजना अन्तर्गत आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे :—

- (a) ऐसे आवेदक जिनके परिवार में किसी भी सदस्य द्वारा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी भी योजना में विगत 5 वर्ष में पूंजीगत अनुदान अथवा ब्याज अनुदान लिया गया हो।
- (b) ऐसे आवेदक जिनके परिवार में कोई भी सदस्य किसी वित्तीय संस्थान / बैंक का डिफाल्टर या दोषी हो। परिवार का तात्पर्य पति-पत्नी तथा नाबालिग बच्चे हैं।

5. योजना अन्तर्गत आवेदन प्रक्रिया

- (i) पात्र व्यक्ति / संस्थागत आवेदक योजना अन्तर्गत विभाग द्वारा निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर संबंधित जिले के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, को आवेदन करेंगे। 10 लाख रु. से कम ऋण के आवेदन पत्रों के सभी वांछित दस्तावेज सही पाए जाने पर महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा इन्हें बिना किसी साक्षात्कार के संबंधित **वित्तीय संस्थान** शाखा को अग्रेषित कर दिया जाएगा। 10 लाख रु. से अधिक ऋण के आवेदन पत्रों की छानबीन हेतु योजना क्रियान्वयन मार्गदर्शिका के बिन्दु संख्या-1 अनुसार महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
- (ii) योजना में सम्मिलित **वित्तीय संस्थान** शाखाएं भी अपने स्तर पर **वित्तीय संस्थान** नॉर्म्स अनुसार परियोजना की व्यवहार्यता की जांच उपरान्त ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति संबंधित जिला उद्योग केन्द्र को मय अभिशंषा के प्रेषित कर सकेंगे।
- (iii) जिला उद्योग केन्द्र में प्राप्त 10 लाख रु. से अधिक राशि के ऋण आवेदन पत्रों की जांच उपरान्त आवेदक को टास्क फोर्स समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा, जिसमें योजना क्रियान्वयन की मार्गदर्शिका के बिन्दु संख्या-2 में वर्णित विशेष वर्गों सहित **वित्तीय संस्थानों** से अभिशंषित आवेदकों को वरीयता देते हुए, चयनित आवेदकों के आवेदन पत्र ऋण स्वीकृति एवं वितरण हेतु ऋणदात्री **वित्तीय संस्थान** को अग्रेषित किये जा सकेंगे।
- (iv) (iv) अ—योजना के तहत इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि छोटे—बड़े सभी स्तर पर कार्य करने वाले उद्यमियों के लिए आवेदन हेतु पर्याप्त अवसर हों। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्राप्त आवेदन पत्रों को ऋणदात्री वित्तीय संस्थान शाखा द्वारा नियमानुसार ऋण स्वीकृति एवं वितरण/सकारण निरस्त किया जा सकेगा, जिसकी सूचना ऑनलाईन पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। सूचना दर्ज नहीं करने पर ब्याज अनुदान का लाभ देय नहीं होगा।
- (iv) ब—जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति/नोडल अधिकारी द्वारा अनुमोदित ऋण राशि से अधिक ऋण स्वीकृत किये जाने पर वित्तीय संस्थान द्वारा समग्र ऋण राशि का पुनः अनुमोदन जिला स्तरीय टास्क फोर्स

समिति / नोडल अधिकारी से करवाया जाना आवश्यक होगा अन्यथा पूर्व में अनुमोदित ऋण राशि ही ब्याज अनुदान हेतु पात्र होगी। जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति / नोडल अधिकारी उक्त अनुमोदन को पृथक एजेण्डा के रूप में रखकर अनुमोदित का रिकॉर्ड संधारित करेंगे।

(iv) स – योजना के तहत ऋण आवेदन प्रस्तुति के बाद जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति द्वारा ऋण आवेदनों की छानबीन पश्चात् प्रतिवर्ष उपलब्ध बजट की सीमा में वित्तीय संस्थानों को आवेदन पत्र अग्रेषित किये जायेंगे तथा किसी भी परिस्थिति में प्रावधित बजट सीमा से अधिक दायित्व सृजित नहीं किये जायेंगे। वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण स्वीकृति एवं वितरण हेतु प्रत्येक स्तर पर निम्नांकित ऋण आवेदकों को प्राथमिकता दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा :–

- i. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति संवर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के ऋण आवेदनों को प्राथमिकता देते हुए उस श्रेणी के आवेदकों की पर्याप्त संख्या वाले क्षेत्रों में ऋण वितरण व ब्याज अनुदान का बजट यथा संभव 20 प्रतिशत व 15 प्रतिशत दिया जायेगा।
 - ii. राज्य के पिछड़े एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों के ऋण आवेदकों को योजना क्रियान्वयन में प्राथमिकता दी जायेगी। पिछड़े एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों/जिलों का निर्धारण वित्त विभाग द्वारा “राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019” के तहत जारी आदेश क्रमांक F.12(39)FD/Tax/2019-Pt-I-232 दिनांक 04.09.2020 के अनुसार होगा।
 - iii. योजना में यथासंभव 30 प्रतिशत महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान करवाने में सहयोग एवं प्राथमिकता दी जायेगी।
 - iv. योजना के तहत सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमियों में से भी कम ऋण की मात्रा के आवेदनों/प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण प्रदान करवाया जायेगा जिससे अधिकाधिक संख्या में छोटे उपक्रम लगाये जा सकें।
- (v) ऋणदात्री वित्तीय संस्थान ऋण स्वीकृति उपरान्त संबंधित आवेदक को नियमानुसार ऋण वितरण करेंगे। ऋणदात्री वित्तीय संस्थान द्वारा ऐसे मामलों में ऋणी द्वारा चुकाये गये ब्याज के पुनर्भरण हेतु प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पश्चात् निर्धारित प्रपत्र में मांगपत्र (क्लेम) संबंधित महाप्रबन्धक,

जिला उद्योग केन्द्र को प्रेषित किये जायेंगे। मांग पत्रानुसार महाप्रबंधक द्वारा योजना अन्तर्गत देय ब्याज अनुदान की स्वीकृति एवं वितरण यथाशीघ्र किया जायेगा, जो जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति/नोडल अधिकारी द्वारा अनुमोदित ऋण राशि के अध्यधीन होगा।

- (vi) जिन उपक्रमों में ऋण वितरण 02 करोड़ रु. से अधिक होगा, में त्रैमासिक ब्याज अनुदान का भुगतान जिला उद्योग केन्द्र एवं ऋणदात्री **वित्तीय संस्थान** शाखा के प्रतिनिधि की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में उपक्रम के कार्यरत होने एवं ऋण खाता नियमित पाये जाने पर किया जा सकेगा। इकाई के संचालन के सत्यापन हेतु प्रमुख मापदण्ड सूचक (Key Parameter Indicator) के रूप में सृजित रोजगार, चुकाया गया कर एवं प्रोविडेंट फण्ड आदि के दस्तावेज की प्रति ली जावेगी।
- (vii) राज्य के लक्ष्यों का आवंटन कार्यालय आयुक्त उद्योग द्वारा जिला उद्योग केन्द्रवार किया जायेगा। जिला उद्योग केन्द्र को आवंटित लक्ष्य को महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र संबंधित जिले के जिला अग्रणी प्रबंधक की सहायता से सहभागी बैंकों एवं अन्य पात्र वित्तीय संस्थानों के मध्य आवंटित करायेंगे।
- (viii) योजना के तहत ऋण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों एवं ब्याज अनुदान हेतु प्राप्त क्लेम प्रपत्रों का निस्तारण “प्रथम आओ प्रथम पाओ” के सिद्धांत पर किया जावेगा। इसमें सूक्ष्म व लघु उद्यम, एस.सी./एस.टी.उद्यमी/अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों के आवेदन पत्रों पर प्राथमिकता के आधार पर “पहले आओ पहले पाओ” के सिद्धांत पर जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति/नोडल अधिकारी के अनुमोदन पश्चात ऋण स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र वित्तीय संस्थानों को अग्रेषित किये जायेंगे। उपरोक्त श्रेणी के आवेदन पत्र वित्तीय संस्थानों को अग्रेषित करने के पश्चात ब्याज अनुदान हेतु बजट उपलब्ध रहने की स्थिति में सोलर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज अनुदान हेतु अंतिम वरीयता में शामिल किया जायेगा।
- (ix) योजना के तहत किसी भी जिले/पंचायत समिति/नगरीय क्षेत्र में आवंटित लक्ष्य के विरुद्ध अधिकतम दोगुने आवेदन पत्र प्राप्त किये जाएंगे।
- (x) योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष आवेदन पत्र आमंत्रित किये जावेंगे। आवेदन पत्रों पर ऋण स्वीकृति हेतु योजना में जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की अभिशंषा प्राप्त की जायेगी, प्रतिवर्ष आवेदनों पर प्राथमिकता के आधार पर ब्याज

अनुदान दिये जाने का निर्णय लिया जायेगा। वर्ष के अंत में बचे हुए आवेदन पत्र आगामी वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि तक वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण स्वीकृत किए जाने पर ब्याज अनुदान हेतु पात्र होंगे। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बचे हुए आवेदन पत्र आगामी वर्ष हेतु निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु शामिल किये जायेंगे तथा इन बचे हुए आवेदन पत्रों को प्राथमिकता दी जायेगी।

इस योजना की निरंतर मॉनिटरिंग, खण्ड स्तर पर खण्ड स्तरीय बैंकर्स समिति, जिला स्तर पर जिला स्तरीय बैंकर्स समिति एवं राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के माध्यम से की जायेगी।

6. आवेदक के आवेदन के मूल्यांकन का प्रपत्र

आवेदन पत्रों में कार्ययोजना की गुणवत्ता के आधार पर **वित्तीय संस्थान** को अग्रेषण की दृष्टि से निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा :—

क्र.सं.	बिन्दु	आवेदक की टिप्पणी (आत्म मूल्यांकन के रूप में)	विभागीय मूल्यांकन (प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर टिप्पणी)
A	आवेदक की श्रेणी के आधार पर वरीयता चाहने हेतु		
1.	क्या आवेदक स्वयं सहायता समूह के रूप में कार्यरत हैं अथवा समूहों के समूह के रूप में व्यावसायिक/आर्थिक गतिविधि चलाना या विस्तार करना चाहते हैं?		
2.	क्या आवेदक वस्तुतः समाज के सबसे वंचित तबके के रूप में विद्यमान हों, जैसे स्ट्रीट वेण्डर, माइनिंग एवं कंस्ट्रक्शन वर्कर, घरेलू वर्कर व असंगठित क्षेत्र के अन्य श्रमिक के रूप में हैं?		
3.	क्या आवेदक दिव्यांग की श्रेणी में आता है?		
4.	क्या आवेदक महिला श्रेणी में आता है?		
5.	क्या आवेदक कंपनी या फर्म के रूप में दर्ज होने से बेहतर पारदर्शिता की संभावना रखती है?		
6.	क्या आवेदक विश्व के अन्य देशों से न्यूनतम 1 वर्ष तक कार्य करके लौटकर आये कामगार एवं उद्यमी हैं?		

B	आवेदक की उद्यम संभावना के आधार पर वरीयता चाहने हेतु		
7.	क्या आवेदक राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कौशल में प्रशिक्षित या प्रस्तावित कार्यक्षेत्र में पुरुस्कृत है या आवेदक की शैक्षणिक / तकनीकी योग्यता प्रस्तावित उद्यम में सहायक रहेगी?		
8.	क्या आवेदक के पास परम्परागत, वंशानुगत अथवा अर्जित अनुभव के आधार पर उद्यम हेतु विशेषज्ञता है अथवा बुनकर कार्डधारक या आर्टीजन कार्ड धारक हैं?		
9.	क्या आवेदक पूर्व में बैंक के अच्छे ऋणी हैं, जिन्होंने बैंक के नियमों के तहत समर्यबद्ध रूप में ऋण चुकाया हो?		
10.	क्या आवेदक के उद्यम में एक स्टार्ट-अप के योग्य कोई विशिष्ट नवाचार या संभावना विद्यमान है या वे किसी ऐसे अनुसंधान को क्रियान्वित करना चाहते हों, जो भविष्य की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी हो?		
11.	क्या आवेदक का उद्यम निर्यात संभावना युक्त है?		
12.	क्या आवेदक एक दूसरे की संयुक्त देयता (ज्वाइंट लायबिलिटी) या गारंटी लेते हैं?		
13.	क्या आवेदक कार्य योजना में निर्यात संवर्द्धन की विपुल संभावना है?		
14.	क्या आवेदक की प्रस्तावित परियोजना से रोजगार व कौशल दोनों बढ़ता हो ?		
15.	क्या आवेदक की कार्ययोजना में पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी अथवा गैर परम्परागत उर्जा संसाधनों का समुचित प्रयोग होता है?		
C	अन्य बिन्दु		
16.	क्या आवेदक के उद्यम हेतु अपनी भूमि है?		
17.	क्या आवेदक के उद्यम हेतु उपलब्ध भूमि में आवश्यकता अनुसार भवन निर्मित है?		
18.	क्या प्रस्तावित उद्यम स्थापना वाले स्थान में उपलब्ध कच्चे माल या प्राकृतिक उत्पाद के उपयोग पर आधारित हैं?		
19.	यदि उस स्थान पर उस जैसे अनेक उद्यम हैं तो वह किस आधार पर चलने की संभावना मानता है?		
20.	क्या प्रस्तावित उद्यम में प्रशिक्षित मानव संसाधन के उपयोग की संभावना है?		

नोट :- यह प्रपत्र मूल आवेदन के साथ ही स्वयं आवेदक द्वारा आत्ममूल्यांकन के रूप में भरा जायेगा, जिसका विभागीय स्तर पर परीक्षण कर समुचित अभिशंषा की जाएगी। उद्योग विभाग द्वारा किसी परियोजना विशेष के लिए इनके अतिरिक्त भी बिन्दु बनाए जा सकते हैं, किन्तु वे महाप्रबन्धक स्तर से अनुशंषित होंगे।

7. मूल्यांकन के उपरान्त प्रभारी अधिकारी/टारक फोर्स की अभिशंषा

उक्त उल्लेखित पैरामीटर तथा अन्य बिन्दुओं पर निम्नांकित रूप में टिप्पणी करते हुए आवेदन पत्र को अग्रेषित करने का निर्णय लिया जा सकेगा ।

1	2	3	4	5
बहुत अच्छा	अच्छा	सामान्य	समुचित नहीं	टिप्पणी

8. ऋण के संबंध में सामान्य स्पष्टीकरण :-

क. योजना में ऋण हेतु इच्छुक आवेदक दो तरह के हो सकते हैं :—

1. वित्तीय संस्थान में ऋण स्वीकृति से पूर्व सामान्य आवेदन करने वाले
2. वित्तीय संस्थान से ऋण की स्वीकृति / सहमति करा चुके आवेदक

योजना के समुचित क्रियान्वयन हेतु आयुक्त उद्योग इनके लिए एक निश्चित अनुपात निर्धारित करने में सक्षम होंगे ।

ख. कोई उद्यमी जो उद्यम लगाता है, उसमें स्थायी व्यय एवं आवर्ती व्यय के रूप में क्रमशः पूँजीगत लागत (Capital Expenditure) तथा राजस्व लागत (Revenue Expenditure) का प्रावधान होता है, इसमें भी कुल परियोजना लागत के अन्तर्गत कुछ राशि उद्यमी द्वारा स्वयं के स्तर पर वहन की जाती है, जिसे उसका स्वयं का अंशदान माना जाता है। बैंक द्वारा सामान्य तौर पर उसकी पूँजीगत लागत (स्थायी व्यय) के लिए कम्पोजिट / सावधि ऋण का प्रावधान किया जाता है और राजस्व व्यय (आवर्ती व्यय) के लिए कार्यशील पूँजी मानते हुए उसकी सी.सी.लिमिट निर्धारित की जाती है। ऋण का स्वरूप प्रोजेक्ट की आवश्यकतानुसार विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में कम्पोजिट ऋण अथवा केवल सावधि ऋण तथा व्यापार क्षेत्र में कम्पोजिट ऋण अथवा सावधि ऋण अथवा कार्यशील पूँजी (अधिकतम 25 लाख रुपये तक के ऋण) (सी.सी.लिमिट सहित) होगा।

यह अधिसूचना वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101905669 दिनांक 09.12.2019 पर प्रदत्त सहमति से जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(शुभम चौधरी)
संयुक्त शासन सचिव

वित्तीय संस्थान स्तर से सीधे वितरित प्रकरण हेतु प्रपत्र

वित्तीय संस्थान का नाम

संस्थान का पूर्ण पता एवं कोड संख्या

फोन नं. : मो. नं. ई-मेल पता :
सेवा में,

महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र

विषय :- “मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना” अन्तर्गत ऋण अनुदान हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रमाणित किया जाता है कि वित्तीय संस्थान के स्तर पर निम्नानुसार ऋण वितरण किया गया है—

- नवीन उद्योग स्थापना
- स्थापित उद्यम के विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण हेतु

क्र. सं.	आवेदक/सेयायटी/ भागीदारी फर्म/एल.एल.पी फर्म/कम्पनी/स्वयं सहायता समूह का नाम व पूर्ण पता	गतिविधि का नाम	टास्क फोर्स से अनुमोदित परियोजना लागत		ब्याज दर	ऋण अवधि (अधिकतम 5 वर्ष)	वित्तीय संस्थान द्वारा स्वीकृत ऋण	
			सावधि ऋण	कार्यशील पूँजी			दिनांक	राशि
1.								

कृपया इन्हें मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजन्तर्गत ब्याज अनुदान राशि का लाभ दिलवाने हेतु जिला टास्क फोर्स समिति से अनुमोदित करवाने का कष्ट करें। इनकी पात्रता हेतु सूचना पत्रक (प्रपत्र-2 'ब') संलग्न प्रेषित है।

शाखा प्रबन्धक
(हस्ताक्षर एवं मोहर)

संलग्नक:- वित्तीय संस्थान से प्रमाणित प्रोजेक्ट रिपोर्ट

आवेदक अव्यक्तिगत होने की स्थिति में रजिस्ट्रेशन/पार्टनर्स/MOU की प्रति

वित्तीय संस्थान स्तर से सीधे स्वीकृत/वितरित प्रकरण हेतु प्रपत्र

..... वित्तीय संस्थान

शाखा

वित्तीय संस्थान के स्तर पर नवीन उद्यम स्थापना/स्थापित उद्यम के विस्तार, विविधकरण या आधुनिकीकरण हेतु "मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना" के अन्तर्गत ब्याज अनुदान की पात्रता हेतु सूचना पत्रक

- नवीन उद्योग स्थापना
- स्थापित उद्यम के विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण हेतु

1.	आवेदक / सोसाईटी / भागीदारी फर्म / एल.एल.पी फर्म / कम्पनी / स्वयं सहायता समूह का नाम						
2.	आवेदक का वर्ग (आवेदक / सोसाईटी / भागीदारी फर्म एल.एल.पी फर्म / कम्पनी / स्वयं सहायता समूह						
3.	अधिकृत व्यक्ति का नाम						
4.	अधिकृत व्यक्ति का आधार सं./जन आधार सं. (प्रति संलग्न करें)						
5.	पिता/पति का नाम						
6.	जन्म तिथि (सोसाईटी / भागीदारी फर्म / एल.एल.पी फर्म / कम्पनी / स्वयं सहायता समूह के प्रकरण में गठन की तिथि एवं पंजीकरण संख्या)						
7.	अधिकृत व्यक्ति का पूरा पता (निवास से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करें)						
8.	आवेदक का फोन/ई-मेल पता						
9.	लिंग (स्त्री/पुरुष)						
10.	व्यवसाय/गतिविधि का विवरण		उद्योग	सेवा	व्यापार		
11.	आवेदक के कार्यस्थल/दुकान का पता						
12.	परियोजना लागत (सावधि ऋण एवं कार्यशील पूँजी)						
13.	आवेदक को स्वीकृत ऋण राशि (सावधि ऋण एवं कार्यशील पूँजी						
14.	आवेदक का ऋण स्वीकृति दिनांक (मय बैंक स्वीकृति पत्र)						
15.	पूर्व 5 वर्षों में केन्द्र/राज्य सरकार से पूँजीगत/ ब्याज अनुदान से लाभावित (हाँ/नहीं)						
16.	सृजित रोजगार						
17.	आवेदक की श्रेणी (संस्थागत आवेदक पर लागू नहीं)	<input type="checkbox"/> सामान्य	<input type="checkbox"/> ओबीसी/एसबीसी	<input type="checkbox"/> अनुसूचित जाति	<input type="checkbox"/> अनुसूचित जनजाति	<input type="checkbox"/> अल्पसंख्यक	<input type="checkbox"/> दिव्यांग

प्रपत्र - 3 (अ) तिमाही के दौरान स्पीकर खातों में (प्रथम बार) व्याज अनुदान दावा प्रस्तुति हेतु

ପ୍ରକାଶକ ମହିନା

۱۷۲

ପ୍ରକାଶକ

፩፻፲፭

जिला उद्योग केन्द्र

卷之三

ટાગક ફોર્મ કમેન્ટ્સ ડ્રા

ਤਮਾਣੁ ਕਾ ਬਲਾਤ ਅ

क्र. वलोम आवेदक

卷之三

四百一

४५८

四

6

- 1 -

卷之三

10 of 10

यह भा प्रमाणित किया जाता है कि -

ପ୍ରକାଶକ ନାମ

क्र.सं.	अधिकारम लक्षण राशि	व्याज अनुदान
1	25 लाख रु. तक	8%
2	25 लाख रु. से अधिक एवं 05 करोड़ रु. तक	6%
3	05 करोड़ रु. से अधिक एवं 10 करोड़ रु. तक	5%

विषय :- “प्रथमंती लघु उद्योग प्रोस्तावन योजना” के अन्तर्गत व्याज अनुदान लेने मार्श मिजवाने हैं।

प्रमाणित किया जाता है कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अनुरूप जिला उद्योग केंद्र द्वारा अधिकारियों द्वारा अनुमोदित निम्न आवेदक को हमारी वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण स्वीकृति उपरान्त ऋण वितरण कर दिया गया है। इस हेतु निम्न आवेदक के प्रथम लिंगियाँ की व्याज अनुदान की गणना कर निम्नानुसार कलेम प्रस्तुत नियमानुसार राशि भिजवाने का श्रम करावे।

क्र. सं.	कलेम सं. अवधि	आवेदक / सोसाइटी वर्गीय विवरण	जिला उद्योग केन्द्र द्वारा आवेदन अप्रेषण क्रमांक व दिनांक	वित्तीय संस्थान द्वारा क्रृत स्वीकृति (सावधि व कार्यशील)	वित्तीय संस्थान का आता संभव्या	IFSC कोड	द्वारा वितरित क्रृण (सावधि व कार्यशील)	प्रभारित व्याज दर	तिमाही के दौरान वसूल की गई ब्याज राशि	त्रैमास हेतु 8/6/5% की दर से मांगी गई ब्याज अनुदान की कुल राशि		
दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

प्रपत्र – 3 (ब) पूर्व में स्वीकृत खाते में चालू तिमाही हेतु व्याज अनुदान दावा प्रपत्र

विनाय गोदावरी का नाम

१२

१०

क्र. सं.	अधिकातम त्रैण राशि	व्याज अनुदान
1	25 लाख रु. तक	8%
2	25 लाख रु. से अधिक एवं 05 करोड़ रु. तक	6%
3	05 करोड़ रु. से अधिक एवं 10 करोड़ रु. तक	5%

महाप्रथमं
ज्ञाना उद्योग केद्

विषय :- “मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना” के अन्तर्गत व्याज अनुदान रतेम राशि भिजवाने हेतु।
 प्रमाणित किया जाता है कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत जिला उद्योग केंद्रद्वारा अधेष्ठित निम्न आवेदक को हमारी वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण स्वीकृति उपरान्त ऋण वितरण कर दिया गया था एवं प्रथम तिमाही हेतु व्याज अनुदार राशि का दावा दिनांक को प्रष्ठित किया गया था। जिसकी राशि वित्तीय संस्थान में प्राप्त हो गई / नहीं हुई है। सर्वधित प्रकरणों में को समाप्त हो रहे त्रैमास की

क्रं. सं.	वरेम त्रैमास अवधि	आवेदक/सेक्यारिटी/भागीदारी फर्म/एल.एफ.पी.फर्म/ कम्पनी/स्वयं सहायता समूह का नाम व पूरा पता	वित्तीय संरक्षण का खाता सख्ता	वित्तीय संरक्षण द्वारा ऋण स्वीकृति (साधित व कार्यशील)	प्रभारित व्याज दर वस्तु की गई व्याज राशि	तिमाही के दोरान वस्तु की गई व्याज राशि
1	2	3	4	5	6	7
						8
						9

यामुना विश्वा तारा द्वि-

- उक्त आवेदक ने ऋण द्वारा अपना नवीन उद्यम स्थापना /स्थापित उद्यम के विस्तार, विविधकरण या आधुनिकीकरण किया है।
 - उक्त आवेदक के उद्यम गत त्रैमास तक कार्यरत थे, जिसके लिए कलेम मापा गया है।
 - उक्त आवेदक द्वारा किश्तों का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है व आवेदक वर्तमान में फिकाल्टर नहीं है तथा उपरोक्त प्रत्यक्ष के कॉलम सं. 8 एवं 9 में शास्ति व्याज व अन्य प्रभार सम्भित नहीं है।
 - उक्त आवेदक द्वारा ऋण से अर्जित परिसम्पत्तियाँ मौजूद हैं।
 - परिस्तिं ऋण राशि पर ८ / ६ / ५% की दर से ब्याज की गणना हमारे द्वारा कर ली गयी है जो मेरे संपूर्ण ज्ञान के अनुसार सही है।

સુરતાભા શાયા નવાજ ફરાજ કૃત કબીર